कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर।

कार्यालय पता नवीन परिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकमार्ग, सिद्धार्थनगर उ0प्र0 272207

email-id: principalasmcsiddharthnagar@gmail.com website:-www.asmcsiddharthnagar.ac.in

पत्रांकः–मे0का0सि0 / संविदा विज्ञप्ति / 2025 / 5847-54 दिनांक 27/05/2025

—: संविदा विज्ञप्ति :—

माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के रिक्त पदो को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार(वॉक–इन–इन्टरव्यू) पद्धति से चयन किया जाना है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से जबतक रिक्त पदों की पूर्ति नही हो जाती है तब तक विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से सप्ताह के प्रत्येक दिन रविवार को छोड कर(अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस) को प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के मध्य साक्षात्कार प्रस्तावित है। पदों का विवरण एवं नियम / शर्तें निम्नवत है–

Sr. No.	Name of Specialiazation	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No. of Post	Category	No. of Post	Category	No. of Post	Category
1	Orthopedics	1	OBC	1	SC	-	-
2	Obstretics & Gyanecology	1	SC	1	UR	1	UR
						1	OBC
3	Emergency Medicine	1	SC	1	OBC	-	-
4	Ophthamology	1	UR	1	SC	-	-
5	Anatomy	1	UR	-	-	1	UR
						1	SC
6	Anesthesiology	1	UR	1	SC	1	OBC
						1	SC
				1	UR	2	UR
7	Oto-Rhino-Laryngology	1	OBC	1	UR	-	-
8	Community Medicine	-	-	1	UR	1	EWS
				1	SC	1	UR
	R H T C (Medicine Officer- Health cum Lecturer/Assistant Professor)	-	-	-	-	1	OBC
	U H T C(Medicine Officer- Health cum Lecturer/Assistant Professor)	-	-	-	-	1	EWS
	Statistician cum Assistant Professor	-	-	-	-	-	-
9	General Medicine	1	OBC	2	OBC	1	SC
						1	UR
				1	UR	1	OBC
10	General Surgery	1	UR	1	OBC	1	SC
				1	UR		
				1	EWS	-	-
11	Tuberculosis and Respiratory/Pulmonary medicine	-	-	1	SC	-	-
12	Dermatology, Venereology and Leprosy	-	-	1	UR	-	-
13	Paediatrics	1	OBC	1	OBC	-	-
14	Pathology	1	EWS	1	OBC	-	-
				1	UR		
15	Pharmacology	1	SC	1	SC	1	UR
						-	-
16	Physiology	1	SC	1	UR	-	-
17	Forensic Medicine	1	UR	1	UR	1	SC
18	Biochemistry	-	-	1	OBC	1	OBC
19	Microbiology	1	OBC	1	UR	-	-
						1	SC
20	Radiodiagnosis	1	UR	1	OBC	1	SC
21	Dentistry	-	-	1	OBC	-	-
22	Psychiatry	-	-	1	EWS	-	-
	Total	16		28		21	

कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।
कार्यालय पता:–नवीनपरिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकमार्ग, सिद्धार्थनगर उ0प्र0 272207
Website:- www-asmesiddharthnagar-ac-in
E-mail:& principalasmcsiddharthnagar@gmail-com

The norms for facilty Appointment and Promotion shall be as follows:

Tabel 1A. Norms for facilty Appointment and Promotion in Broad Speeialies (MD/MS) which are in Existence for More than 10 Years.

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experienc
Professor (8 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB in the Concerned Subject.	(i) Associate Professor in the subject for three years in a permitted/ recognized medical college institution. (ii) Should have at least four Research publications (at least two as Associate Professor) (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered]. (iii) Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC. (iv) Should have completed the Basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Associate Professor (5 Year Post PG Experience)	MD/MS/DNB in the Concerned Subject.	(i) As Assistant Professor in the subject for four years in a permitted/recognized medical college/ institution. (ii) Should have at least two Research publications [only original papers, meta analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index. Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered]. (iii)Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC. (iv) Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Assistant Professor	MD/MS/DNB in the Concerned Subject.	(i)One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college after acquiring MD/MS Degree. (ii) Determination of equivalence of the qualification of DNB (Broad Specialties) with MD/MS and DNB (Super Specialties) with DM/MCh The Diplomate of National Board (DNB) in broad specialty and super specialty qualifications when granted in a medical institution with attached hospital or in a hospital with the strength of five hundred or more beds, by the National Board of Examinations, shall be equivalent in all respects to the corresponding broad specialty (MD/MS) and super specialty (DM/MCh) postgraduate qualification, but in all other cases, senior residency in a medical college for an additional period of one year shall be required for such qualification to be equivalent for the purposes of teaching.

Table 1B: Index of Broad Specialtion in which Persons with non-Medical Qualifications may be Appointed as Faculty (Assistant Professor and beyond)

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualifications
1.	Anatomy	MSc (Medical Anatomy) with PhD Medical Anatomy
2.	Biochemistry	MSc (Medical Biochemistry) with PhD Medical Biochemistry
3.	Physiology	MSc (Medical Physiology) with PhD Medical Physiology

कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर।

कार्यालय पताः—नवीनपरिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकमार्ग, सिद्धार्थनगर उ0प्र0 272207

E-mail:& principalasmcsiddharthnagar@gmail-com Website:- www-asmesiddharthnagar-ac-in

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह National Medical Commission- (Teachers Eligibility Qualification In Medical Irestitutions Regulations, 2022) Dated 14-02-2022 द्वारा निर्धारित या नवीनतम नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। एन०एम०सी० के मानकों के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षणिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्री की (स्व—प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 02 पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हो। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा। उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है—

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या—109/2024/176/71—1—2024/71—1001/804/2020. दिनांक 18 जुलाई 2024 में निहित (पुनर्निर्धारित नियत मानदेय) प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।
2. वेतन के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022 में निहित के अनुसार होगी।
4. शासानादेश संख्या—562/71—1—2020—जी—63/2008 दिनांक 10.06.2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य 60 वर्ष, सह—आचार्य 64 वर्ष एवं आचार्य 68 वर्ष होगी।
5. ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकरिनक/आपदा सेवाओं के लिए डयूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
8. **संविदा पर नियुक्त कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती अथवा नियमित अभ्यर्थी मिलने तक अथया स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने अथवा अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सेवायोजित अभ्यर्थी की तैनाती होने अथवा सम्बन्धित विभाग के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ये नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश/निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी।**

सेवा सतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।

9. एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी /
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा पुन बढ़ाया जा सकता है।

नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा पुन बढ़ाया जा सकता है। उक्त कालावधि में कार्यभार न

11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रदद् मानी जायेगी।

12. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
14. शासनादेश संख्या—367/71—1—2020—जी—195/2015 टी.सी. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदो के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरुप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गों के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
15. संविदा के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को नियमानुसार भरा जायेगा।
16. **उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।**

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः मे०का०सि०/संविदा विज्ञप्ति/2025/ तदिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—3, लखनऊ, उ0प्र0।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/कानपुर/आगरा/झांसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आजमगढ/अम्बेडकर नगर/जालौन/कन्नौज/सहारनपुर/बाँदा /बदायू।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बहराईच/बस्ती/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/प्रतापगढ/एटा/मिर्जापुर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर /देवरिया /जौनपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को प्रमुख 03 समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।
6. सापटनिक्स इंडिया, गोलघर, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को चिकित्सा महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर की नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय प्रधानाचार्य, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर।

कार्यालय पताः—नवीनपरिसर, माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, अशोकमार्ग, सिद्धार्थनगर उ0प्र0 272207
E-mail:& principalasmcsiddharthnagar@gmail-com Website:- www-asmcsiddharthnagar-ac-in

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह National Medical Commission- (Teachers Eligibility Qualification In Medical Irestitutions Regulations, 2022) Dated 14-02-2022 द्वारा निर्धारित या नवीनतम नोटिफिकेशन के अनुसार अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। एन०एम०सी० के मानकों के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षणिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्री की (स्व–प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न कर 01 सेट एवं 02 पासपोर्ट फोटो सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हो। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नही होगा। उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू हो जाने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या–109/2024/176/71–1–2024/71–1001/804/2020. दिनांक 18 जुलाई 2024 में निहित (पुनर्निर्धारित नियत मानदेय) प्राविधानित नियत वेतन देय होगा।
2. वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक अनुभव उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली 2022 में निहित के अनुसार होगी।
4. शासानादेश संख्या–562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10.06.2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य 60 वर्ष, सह–आचार्य 64 वर्ष एवं आचार्य 68 वर्ष होगी।
5. ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकरिनक/आपदा सेवाओं के लिए डयूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
8. **संविदा पर नियुक्त कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती अथवा नियमित अभ्यर्थी मिलने तक अथया स्थानान्तरण के माध्यम से नियमित चिकित्सा शिक्षक के उपलब्ध होने अथवा अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सेवायोजित अभ्यर्थी की तैनाती होने अथवा सम्बन्धित विभाग के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ये नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश/निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी।**
9. सेवा सतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी / नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा पुन बढ़ाया जा सकता है।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रदद् मानी जायेगी।
12. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
14. शासनादेश संख्या–367/71–1–2020–जी–195/2015 टी.सी. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–१ लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदो के रिक्तियों पर आरक्षण के अनुरुप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर अनारक्षित वर्गों के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
15. संविदा के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को नियमानुसार भरा जायेगा।
16. **उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।**

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः मे०का०सि०/संविदा विज्ञप्ति/2025/ 5847-54 तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ, उ0प्र0।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/कानपुर/आगरा/झांसी/प्रयागराज/गोरखपुर/आजमगढ़/अम्बेडकर नगर/जालौन/कन्नौज/सहारनपुर/बाँदा /बदायू।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/बहराईच/बस्ती/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/प्रतापगढ़/एटा/मिर्जापुर/हरदोई/गाजीपुर/फतेहपुर /देवरिया /जौनपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को प्रमुख 03 समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।
6. सापटनिक्स इंडिया, गोलघर, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन को चिकित्सा महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर की नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

संकाय सदस्य प्रभारी,
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्य
माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।